15 फरवरी, 2022

सेवा में,

1. श्री अजय कुमार शुक्ला
   मुख्य चुनाव अधिकारी
   चौथी मंजिल, विकास भवन, हजरतगंज
   लखनऊ-226001
   Email ID: ceoup@nic.in

2. श्री मनोज कुमार
   राज्य चुनाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश
   32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001
   Email ID: secup@up.nic.in

3. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
   जिला चुनाव कार्यालय,
   सिद्धार्थ नगर
   Email ID: secsid@up.nic.in

विषय : भारतीय जनता पार्टी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई हेट स्पीच के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के विरूद्ध अभियोग दर्ज करने के संदर्भ में।

आदरणीय महोदय,

सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) से जुड़ें हम सभी लोग सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे डुमरियागंज, सिद्धार्थ नगर जिला, उत्तर प्रदेश के भारतीत जनता पार्टी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के उन कई वीडियो को लेकर चिंतित हैं। जहाँ उन्हें हेट स्पीच देते हुए और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाते हुए देखा जा रहा है। ऐसा करना न सिर्फ भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उलंघन है बल्कि भारतीय दंड संहिता और जन-प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत एक अपराध भी है।

अपने एक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं की एक भीड़ को सिंह द्वारा इस तरह संबोधित करते हुए सुना जा रहा है: “यदि इस बार आपलोग हमें फिर विधायक बना देते हैं तो आप देखेंगे कि वे लोग (मुसलमानों) सिर्फ टोपी पहनना ही बंद नहीं किए हैं बल्कि उसकी जगह वे तिलक भी लगाने लगे हैं।” उन्हें ऐसा दावा करते भी देखा जा रहा है कि वे जबसे विधायक

चुने गए हैं, तब से, यानी पिछले चुनाव से लेकर अब तक "मुसलमानों की 250 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन जब्त की गई है और उनकी दुकानों को तहस-नहस किया गया है।" फिर वे उन इलाकों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके नाम कभी मुस्लिम हुआ करते थे और उन्हें अब बदल कर उनके हिन्दू नाम रख दिए गए हैं। वे कुछ उदाहरण गिनाते हुए बताते हैं कि बेवा का नाम बदलकर बजरंगी चौक कर दिया गया है, अल्लाहपुर अब योगी नगर हो गया है और हसीनाबाद को अब नंदी चौक के नाम से जाना जाने लगा है। ऐसे उदाहरण और भी हैं।

फिर वे सामने मौजूद भीड़ से पूछते हैं, "अब आप बताएं, डुमरियागंज में जय श्री राम गूंजेगा या वालेकुम सलाम? यहाँ माता दुर्गा हमारे साथ हैं। चलिए उनके सामने हम एक बार शपथ लेते हैं।" जवाब में भीड़ भी "जय श्री राम" चिल्लाती सुनी जा रही है।

वे आगे कहते हैं, " कटुवों (मुसलमानों) से ज़्यादा खतरा वोट कटवों (उसी क्षेत्र से विरोध में चुनाव लड़ रहे हिन्दू उम्मीदवारों) से है।

[सोशल मीडिया पर उपलब्ध ऐसे वीडियो की क्लिपिंग्स सीजेपी द्वारा डाउनलोड की गई हैं और एनेक्सर A, B और C के रूप में उन्हें संलग्न किया गया है।]

एक दूसरी जगह पर दिन के वक्त में शूट किए गए एक दूसरे वीडियो में जहाँ पीछे से अज़ान की आवाज़ आ रही है, वे एक भीड़ को संबोधित करते हुए यह कहते देखे जा रहे हैं, "अरे ***खोरों सुनो, कल तुम्हारा माईक चेक करूंगा और अगर परमिशन नहीं होगा तो तुम्हारी मस्जिद से माईक उतरवा लूंगा। कल इनका परमिशन का कागज चेक होगा।"

सही बात तो यह है कि जब अज़ान की पवित्र आवाज़ आ रही है, ठीक उसी समय उन्होंने खुले आम मुस्लिम समुदाय को गाली-गलौज किया है और उन्हें हड़काते हुए कहा है कि वे कल इसकी जांच करेंगे कि उस मस्जिद को अज़ान के वक्त माईक का इस्तेमाल करने का अधिकार है या नहीं। यदि उन्होंने पाया कि उन्हें इसकी जरूरी परमिशन नहीं है तो उन्हें फिर उसका इस्तेमाल करने की इज़ाजत नहीं दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक़्त वे यह सब बोल रहे थे तब वहाँ उनके इर्द-गिर्द मौजूद भीड़ काफी मजे ले रही थी और उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे।

वीडियो में वे आगे और भी बोलते दिख रहे है, "पहले रोज़ा-इफ़्तार होता था तो डुमरियागंज की सड़क बंद हो जाती थी। अब वह सब कुछ बंद है या नहीं?" यह सब कहने के बाद वे वहाँ मौजूद भीड़ से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील यह कहते हुए करते हैं कि यदि अगर वे लोग इन चीजों को जारी रखना चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

श्री सिंह द्वारा दिया गया उपरोक्त भाषण आदर्श आचार संहिता के निम्न धाराओं का उल्लंघन करता है :

1. ***सामान्य आचरण***
   (1) कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी धार्मिक या भाषागत गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा जो धर्म या भाषा के आधार पर मौजूद भेदभाव या फर्क को बढ़ाती हो या एक-दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा करती हो या फिर विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच तनाव का कारण बनती हो।
   (2) ऐसी कोई भी अपील नहीं की जाएगी जिसमें जातिगत या सांप्रदायिक भावनाएं निहित हों। चुनावी प्रचार के एक मंच के रूप में चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों या ऐसे अन्य पूजा-स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
   (3) सभी पार्टियां और उम्मीदवार पूरी ईमानदारी के साथ मतदाताओं को घूस देने, उन्हें डराने-धमकाने, दूसरे मतदाता के नाम पर वोट डलवाने, पोलिंग बूथों के सौ मीटर के दायरे में प्रचार करने, चुनाव के दिन से 48 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो गई हो आम सभाएं करने और मतदाताओं को पोलिंग बूथों तक ले जाने-ले आने के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराने जैसे आचार-आचरणों से, जिन्हें "भ्रष्ट आचरण" कहा जाता है और चुनाव-कानूनों के मुताबिक अपराध माना जाता है, खुद को अलग रखेंगे।

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों/महासचिवों के नाम 28.11.2013 को भेजे गए अपने पत्र- पत्र-संख्या 437/6/INST/2013/CC&BE में भारतीय चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और दिल्ली जैसे पाँच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जारी चुनाव-प्रचारों के दौरान राजनीतिक भाषणों के गिरते स्तर को नोटिस किया था और इसका भी उल्लेख किया था कि उसके पास इससे संबंधित ढेर सारी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मसलन :

(a) एक-दूसरे के प्रति नफ़रत, वैमनस्य और दुर्भावना फ़ैलाने वाले उकसाऊ और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं।
(b) ऐसी अभद्र और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शालीनता की सारी हदों को लांघ जाती है।
(c) भाषणों, बयानों और पोस्टरों एवं होर्डिंगों के जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य एक-दूसरे के प्रति घृणा, वैमनस्य और दुर्भावना फैलाना और धर्म, जाति और समुदाय आदि के आधार पर विभिन्न

> राजनीतिक पार्टियों और नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव और फ़र्कों को बढ़ावा देना होता है जबकि आदर्श आचार संहिता ऐसी गतिविधियों से अलग रहने की हिदायत देती है।

उत्तर प्रदेश में भी आज ऐसी ही एक स्थिति सामने आई है। साथ में संलग्न वीडियो में इसे साफ़-साफ़ देखा जा सकता है। श्री सिंह खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ हिन्दुओं को खड़ा कर रहे हैं और मुस्लिम संप्रदाय के आर्थिक बहिष्कार की शेखी बघार रहे हैं जिससे कि वोटरों को इस तरह बहकाया जा सके कि वे उन्हें तथा उनकी पार्टी को वोट दे दें। इन सभी वीडियो में उनके द्वारा उन्हें वोट देने के लिए की गईं सभी अपीलें धर्म को आधार बनाकर की गई हैं जो आदर्श आचार संहिता और साथ ही जन-प्रतिनिधित्व कानूनों का खुला उल्लंघन है।

जन-प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन

श्री सिंह द्वारा उपरोक्त कानून की निम्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है :

123. भ्रष्ट आचरण– निम्न आचार-आचरण को इस कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा :

(3) किसी व्यक्ति के धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति से वोट देने या वोट न देने के लिए उम्मीदवार या उसके किसी एजेंट या उम्मीदवार या उसके चुनावी एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई अपील या फिर उस उम्मीदवार के चुन लिए जाने की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या फिर किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल या उनकी दुहाई देना या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल करना या उसकी दुहाई देना।

(3a) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या फिर उम्मीदवार या उसके चुनावी एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के चुन लिए जाने की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या फिर भाषा के आधार पर शत्रुता या नफ़रत की भावनाएं भड़काना या भड़काने की कोशिश करना।

125. चुनाव के क्रम में वर्गों के बीच शत्रुता को भड़काना– जो भी व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत होने वाले चुनाव के क्रम में भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या फिर भाषा के आधार पर शत्रुता या नफ़रत की भावनाएं भड़काएगा या भड़काने की कोशिश करेगा वह कारावास की सज़ा भुगतेगा, जिसकी अवधि तीन साल तक हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों के दंड का भागी होगा।

भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन :

श्री सिंह द्वारा दिए गए भाषण के दौरान भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है :

153A, 153B, 171C, 295A, 298 और 505(2)

153A– धर्म, नस्ल, जन्म-स्थान, निवास और भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सौहार्द्र बनाए रखने के खिलाफ़ काम करना।

153B– राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप और संबोधन।

295A– जानबूझ कर किया गया दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना।

298– जानबूझ कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से बयानबाजी करना।

505– सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए उकसावा देने वाले बयान।

505(2)– वर्गों के बीच शत्रुता, नफ़रत और दुर्भावना को बढ़ावा देने वाले बयान।

अभिराम सिंह बनाम सी.डी. कमाचेन वाले एक मुक़दमे में (सिविल अपील संख्या 37 जिस पर निर्णय 2 जनवरी 2017 को हुआ था) सात जजों की एक पीठ ने इससे संबंधित फैसला दिया था कि जन-प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) में प्रयुक्त 'उसके' शब्द क्या सिर्फ़ उम्मीदवार और उसके विरोध में खड़े उम्मीदवार तक का ही बोध करता है (शाब्दिक अर्थ में) या उसके दायरे में (उस शब्द के उद्देश्यमूलक अर्थ में) मतदाता भी आते हैं। उस पीठ ने 4-3 के बहुमत से इस 'उसके' शब्द की उद्देश्यमूलक व्याख्या को ही सही ठहराया और इस प्रकार उम्मीदवार, उसके प्रतिद्वंदी या मतदाता से संबंधित वैसी अपीलों को गैरकानूनी करार दिया। इसका मतलब यह कि धर्म के आधार पर मतदाताओं से की गई चुनावी अपील को "भ्रष्ट आचरण" माना जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप संबंधित उम्मीदवार के चुनाव को निरस्त किया जा सकता है और आगे उसे अगले छः वर्षों के लिए उम्मीदवारी के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने इससे सहमति जताने वाले निर्णय में बताया, "एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र का राज्य किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय से अपनी पहचान नहीं जाहिर करता। इसका मतलब निश्चित रूप से यह निकलता है कि ऐसे देश के शासन-कार्यों में, जो अपने चरित्र में निश्चित रूप से हमेशा ही धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्म कोई भूमिका नहीं निभाएगा। राज्य विधान सभाओं या संसद या फिर कहें तो राज्य के अन्य निकायों के चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष आयोजन हैं, अतः अपने दृष्टिकोण और आचरण दोनों में ही इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को निश्चित रूप से

धर्मनिरपेक्ष होना है। कहने की जरूरत नहीं है कि संवैधानिक सदाचार, धर्मों या धार्मिक विचारों को राज्य की धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणाली से मिलाने या घालमेल करने की इजाज़त नहीं देते।"

जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा 1975 एससीआर 453 वाले मुक़दमे में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस प्रकार रखा :

"जैसा कि हमने पहले भी संकेत दिया है, हमारा लोकतंत्र केवल तभी जिन्दा रह सकता है जब उसके जन-प्रतिनिधि और नेता होने की आकांक्षा रखने वाले लोग इस धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की भावना को समझ सकें। इसी भावना को मोंटेस्क्यु ने बहुत पहले इसकी 'खूबियों' में से एक बताया था। इसका मतलब, जैसा कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था, 'आत्म-अनुशासन' है। इस भावना को और भी मजबूत बनाने के लिए चुनावों के दौरान उम्मीदवारों को चाहिए कि वे तर्कों की रोशनी में मतदाताओं को समझाने-बुझाने की कोशिश करें बजाए इसके कि उनके अंदर एक अंधे और विध्वंसक उन्मादी जूनून को हवा दी जाए। चुनाव में विरोधी धर्म के होने की वजह से किसी उम्मीदवार के खिलाफ खुलेआम धार्मिक आधार पर हमलावर दुष्प्रचार को एक धार्मिक राज्य में अनुमति तो दी जा सकती है, पर हमारे जैसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में नहीं। यह स्पष्ट है कि, यदि इस तरह के प्रचार की अनुमति यहाँ दी गई, तो धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के हितों को दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान होगा। चुनाव के दौरान भी प्रतिद्वंद्वियों के बीच इस देश में समानता, बंधुत्व और मित्रता की भावना को बनाए रखने के लिए धार्मिक दुष्प्रचार को निषिद्ध किया गया है। प्राथमिक रूप से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के हित में इस तरह के प्रतिबंध आवश्यक हैं।"

यह आगे बताता है-

"इसलिए, विधायिका के चुनाव में, जो "राज्य" का एक हिस्सा है, उम्मीदवारों को मतदाताओं को यह बताने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उनके प्रतिद्वंदी अपने धार्मिक व्यवसायों या प्रथाओं के आधार पर जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हैं। इस तरह के दुष्प्रचार की अनुमति देना न केवल अशोभनीय रूप से संबंधित उम्मीदवारों पर व्यक्तिगत हमलों की अनुमति देने जैसा होगा, बल्कि उन मूलभूत सिद्धांतों पर हमले की अनुमति जैसा भी होगा जो हमारे लोकतांत्रिक राज्य के बुनियादी ढांचे को बनाए रखते हैं।"

उपर्युक्त तथ्य उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों के अंश मात्र हैं और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने पर जोर देते हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवार को हर कीमत पर किसी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जो किसी धर्म के नाम पर अपील करता हो या किसी धार्मिक समुदाय के खिलाफ हो।

इसी आलोक में हम माननीय चुनाव आयोग से भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।

हमारा विनम्र निवेदन :

हम बेहद विनम्रता के साथ यह निवेदन करते हैं कि आप आदर्श आचार संहिता और जन-प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के इस गंभीर उल्लंघन का संज्ञान लें। हम निवेदन करते हैं कि आप भाजपा के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करें, और भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आवश्यक सख़्त कार्रवाई करने का आदेश पारित करने के साथ-साथ उन्हें बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दें।

सादर

नंदन मालुस्ते, सीजेपी अध्यक्ष

तीस्ता सीतलवाड़, सीजेपी सचिव

संलग्नकों की सूची :

संलग्नक A-C : वीडियो की क्लिपिंग्स सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और सीजेपी द्वारा डाउनलोड की गई हैं।

संलग्नक D : वीडियो की क्लिपिंग्स सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और सीजेपी द्वारा डाउनलोड की गई हैं।